

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : सीईओ

सीधी। समय-सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान तथा 11 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2024 तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करना है। अभियान 11 दिसम्बर से गीता जयंती से आरंभ होगा। इसका समापन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को होगा। अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इन शिविरों में भी यदि हितग्राही लाभ पाने से वंचित रह गए तो उन्हें 26 जनवरी को लाभान्वित किया जाएगा। सीईओ जिला पंचायत ने अभियान का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



समय सीमा बैठक सम्पन्न

सीईओ जिला पंचायत ने उपखण्ड अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी वार्डों तथा ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। चेकलिस्ट अनुसार प्रत्येक घर का सर्वे कर छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हकन किया जावेगा। प्रत्येक परिवार के लिए जनकल्याण कार्ड बनाया जाएगा जिसमें उन्हें कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रदर्शित किया जावेगा। उन्होंने

सभी विभाग प्रमुखों को अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करते हुए फ्लेक्स बनाने तथा शिविर स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अभियान के दौरान राजस्व महाअभियान, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा टीबी मुक्त भारत अभियान का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने निर्देशित किया है कि

सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा कर संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण के लिए विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें तथा निगरानी तंत्र को व्यवस्थित करें। जिन विभाग प्रमुखों की परफॉर्मेंस डी ग्रेड में है विभाग प्रमुख शिकायतों को स्वयं विशेष रूप से देखकर समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण दर्ज कराए। विकासखंड स्तर पर एसडीएम

सीईओ जनपद तथा संबंधित विभागों के साथ बैठक करके शिकायतों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लें और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण दर्ज करें। समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीईओ जिला पंचायत ने खरीफ उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सर्वेयर को आवश्यक प्रशिक्षण तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से निश्चय मात्रा में खरीदी की जाए। प्रत्येक वारदाने में निश्चित मात्रा की ही तौल की जाए। उन्होंने खाद वितरण की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में उपखण्ड अधिकारी सिहावल एसपी मिश्रा, कुसमी प्रिया पाठक सहित सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

माखनलाल मिश्रा ने बच्चों को दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

सीधी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर जेंडर आधारित हिंसा की रोक थाम के लिए जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के तहत 7 दिसंबर दिन शुक्रवार को पी एम श्री केंद्रीय विद्यालय सीधी में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.सी.एच. त्रिपाठी एवं सहायक संचालक अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जुड़ो कराटे ट्रेनर ब्लैक बेल्ट 4 डन कराते सचिव माखनलाल मिश्रा द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की स्टेप बच्चों को सिखाया गया साथ साथ कई विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया।

उक्त कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्या डॉ अंशु त्यागी, परियोजना अधिकारी सीधी 1 आशा तिवारी, प्रशासक मंजुला तिगा, पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड, दिनकर तिवारी एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राये उपस्थित रहें।

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर 41 वाहनों के विरुद्ध संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही



सीधी। खनिज अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निर्देशानुसार सम्पूर्ण सीधी जिलान्तर्गत राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले के द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के जांच हेतु दिनांक 07.09.2024 से 09.12.2024 के मध्य संयुक्त मुहिम चला कर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान सिंगरीली जिले की रेत खदानों से 26 वाहन, हरचोखा (छ.ग.) में स्थित रेत खदान से 03 वाहन, जिला शहडोल में स्थित रेत खदानों से 10 वाहन तथा खनिज बॉक्साइट का एक वाहन तथा गिट्टी खनिज

का एक वाहन अभिवहन पारपत्र में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करते हुए पाये जाने पर साथ ही एक ट्रैक्टर व एक हाइवा द्वारा क्रमशः रेत व गिट्टी का बिना अभिवहन पारपत्र प्राप्त किए परिवहन करते पाये जाने पर म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत जब्त किया जाकर विभिन्न नजदीकी थाना/चौकियों में सुरक्षा खड़ा कराया गया। जप्त वाहनों के विरुद्ध प्रकरण खनिज नियम के तहत पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

रेत के अवैध परिवहन पर 10 वाहनों पर की गई कार्यवाही



सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी के निर्देशन में दिनांक 08.12.2024 को तहसील मड़वास अंतर्गत टिकरी सीधी मुख्य मार्ग पर आकस्मिक जांच के दौरान मात्रा से अधिक/बगैर टी.पी. के रेत परिवहन करते हुये 10 वाहन पकड़े

गए। 9 वाहनों में रेत टी.पी. में अंकित मात्रा से अधिक रेत का परिवहन एवं 01 बगैर टी.पी. के रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। वाहनों का मौके से स्थल पंचनामा, अभिग्रहण पत्रक एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया जाकर पुलिस सहायता केन्द्र टिकरी की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है।

नेशनल लोक अदालत के संबंध में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अधिवक्तागण के साथ की गई बैठक

सीधी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम एवं चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जायेगा। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 09.12.2024 दिन सोमवार को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मागदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री

वीरेंद्र जोशी द्वारा समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री जोशी ने कहा कि अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना न्यायदान की प्रक्रिया अधूरी है। उक्त बैठक में श्री मुकेश कुमार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री राजेश श्रीवास्तव प्रथम जिला न्यायाधीश, श्री गौतम कुमार गुजरे चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सुश्री उर्मिला यादव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला, श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा चीफ लीगल एड



डिफेंस काउंसिल, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री ऋषभ सिंह पैनल अधिवक्तागण श्री अरविंद शुक्ला, श्री रामभजन गुप्ता, श्री परममुख शुला, श्री प्रमोद पाण्डेय, श्रीमती सुजाता मिश्रा, श्री फूलचंद गुप्ता, श्री सतीश कुमार उर्मिला, श्री

अरविंद गोस्वामी सहित जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन

वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।

इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.12.2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.12.2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

बैंक सखी को सीसीएल वितरण एवं बैंकिंग प्रक्रिया पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित

सीधी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के मार्गदर्शन एवं जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन सीधी के निर्देशन में एकता सिटीसी सीधी में मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शाखाओं में कार्यरत समस्त बैंक सखी एवं मिशन टीम का सीसीएल वितरण एवं बैंकिंग प्रक्रिया विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 7



दिसंबर 2024 को संपन्न किया गया। प्रशिक्षण में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के अग्रिम प्रबंधक श्री अजय सावनेर एवं सीनियर मैनेजर श्री संदीप पाण्डेय द्वारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक में

सीसीएल वितरण प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही फाईल तैयार करने का अभ्यास करवाया गया एवं जिला परियोजना प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र

कुमार सिंह द्वारा मिशन में बैंक सखी नीति लागू करने की आवश्यकता, उद्देश्य, अवधारणा, बैंक सखी के कार्य, मिशन एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा दिए जाने वाले मानदेय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण में जिला परियोजना प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह एवं जिला व विकास खंड की समस्त टीम के साथ बैंक सखी उपस्थित रही।

चिलरी कला में सरपंद पद का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

सीधी। ग्राम पंचायत चिलरी कला में सरपंद पद का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत चिलरी कला में सरपंच पद हेतु 4 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान हेतु 3 केन्द्र बनाये गये थे। चिलरी कला में पुरुष मतदाताओं की संख्या 943, महिला मतदाताओं की संख्या 826 तथा कुल मतदाताओं की संख्या 1769 है, जिसमें 511 पुरुष मतदाताओं, 569 महिला मतदाताओं कुल 1080 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। मतों की गणना खंड मुख्यालय में 13 दिसंबर 2024 को की जावेगी।

कक्षा 9 वी से 12 वी की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारम्भ

सीधी। एपीसी रमसा डॉ सुजीत कुमार मिश्र ने जानकारी दे कर बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा 6 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गई है। कक्षा 9 एवं 10 वी की सुबह 9 बजे से और 11 वी तथा 12 वी की दोपहर 1:30 बजे से परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रतिदिन परीक्षा के उपरांत अगले दिवस के परीक्षा के विषय की तैयारी हेतु कक्षा का संचालन अनिवार्य रूप से

परीक्षा पश्चात लगेगी अतिरिक्त कक्षाएं विद्यार्थी को दिखाई जाएगी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं किया जाय। ऐसे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा दोपहर बाद है उन्हें दोपहर पूर्व परीक्षा की तैयारी कराई जाय। परीक्षा उपरांत विषय शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं

विद्यार्थियों को उनकी नुटियां दशांते हुये अवलोकन कराएंगे। 30 दिसम्बर को आयोजित होगा पी.टी.एम. दिनांक 30.12.2024 को पी.टी.एम. आयोजित कर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम से पालकों को अवगत कराते हुये मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराने और परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर फीडिंग करने के निर्देश प्राचार्यों को दिए गए हैं।

डीडीएम नाबार्ड द्वारा आजीविका रूरल मार्ट एवं एकता सीटीसी का भ्रमण



सीधी। जागृति आजीविका रूरल मार्ट में नाबार्ड डीडीएम द्वारा आजीविका रूरल मार्ट, भरतपुर हाथकरछा एवं शुद्ध आहार केंद्र एवं एकता सीटीसी सीधी का भ्रमण किया गया। इस दौरान कृषि सीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों से चर्चा की गई। एलडीएम नाबार्ड द्वारा समूह द्वारा बनाये गए उत्पाद की सराहना की गयी एवं उत्पाद क्रय किए गए।

उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर बाजार व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रबंधक श्री शैलेन्द्र द्विवेदी, ब्लॉक प्रबंधक श्री अशोक पाण्डेय, जागृत सीएलएफ एवं रूरल मार्ट नोडल श्रीमती अनामिका मिश्रा के साथ रूरल मार्ट के प्रतिनिधि समूह के सदस्य उपस्थित रहे।

100 दिवसीय निश्चय शिविर अभियान का शुभारंभ

विधायक ने निश्चय वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

सीधी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिवसीय निश्चय शिविर अभियान का शुभारंभ विधायक सीधी रीती पाठक के मुख्य आतिथ्य में जिला चिकित्सालय सीधी में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सभी की सक्रिय सहभागिता से निश्चय ही टीबी हारेगा और देश जीतेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस अभियान में बड़-चढ़कर हिस्सेदारी निभाए ताकि आने वाले समय में आपके गांव को, आपके ग्राम पंचायत को और सीधी को

टीबी जैसी बीमारी से मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर विधायक द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत हेतु शपथ भी दिलवाई गई तत्पश्चात निश्चय वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में पंचायत विभाग के 400 ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा पंचायत के टीबी मरीज को गोद ले कर पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। साथ ही महिला बाल विकास एवं स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हो कर अभियान में सहयोग करेंगी। अगर गांव में टीबी के संभावित रोगियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उन्हें जांच केंद्र तक पहुंचाया जा सके



तो उन्हें तुरंत उपचार मिल सकता है। जिला क्षय अधिकारी डॉ हिमेश पाठक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह अभियान 24 मार्च 2025 तक चलेगा। इस

अभियान के अंतर्गत समुदाय में छूटे हुए टीबी के मामलों को जल्दी से पहचाना है ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके और गांव व समुदायों को जल्द से जल्द टीबी मुक्त बनाया जा सके। साथ ही

अगर कोई व्यक्ति जांच के दौरान टीबी का मरीज पाया जाता है तो उसे निश्चय पोषण योजना अंतर्गत एक हजार रुपये प्रति माह भी दिए जाते हैं ताकि वह समुदाय स्तर पर कुछ पौष्टिक चीज खरीद कर सेवन कर सके। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनीता तिवारी द्वारा बताया गया कि इस अभियान के तहत उन कमजोर लोगों तक पहुंचा जाएगा जो कुपोषण, एचआईवी, डायबिटीज, धूम्रपान, शराब का सेवन या टीबी रोगियों के संपर्क में होने जैसे कारणों से टीबी के सक्रिय रोगी हो सकते हैं यदि वह लोग समय पर स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं पहुंचते तो बीमारी फैलने के साथ-साथ उनकी हालत भी गंभीर हो सकती है।

कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. दीपारानी इसरानी, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉ दिव्यांशु शुक्ला, डीपीसी अशफाक अहमद, पीएमडीटी विनोद तिवारी, पीपीएसए टीम लीडर जितेंद्र सिंह, पिरामल डीपीओ प्रदीप उपाध्याय, डीपीसी अभिलाषा सिंह एवं आशा कार्यकर्ता आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 12 निश्चय मित्र बनाए गए साथ ही पोषण आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन पिरामल फाउंडेशन के डीपीओ प्रदीप उपाध्याय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्लाक से बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम एवं एसटीएस, एसटीएलएस एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने रीवा निज निवास में जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजनों की समस्यायें सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।



समाधान ऑनलाइन से जुड़ी तथा सौ दिन से अधिक की शिकायतों का निराकरण करें : कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी अधिकारी स्वयं समाधान ऑनलाइन के एग्जेंडा बिन्दुओं की शिकायतों का निराकरण करें। बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। इसी तरह सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन तथा 100 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का भी प्राथमिकता से निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एग्जेंडा बिन्दुओं पर 1851 तथा 100 दिन से अधिक की 8764 शिकायतें लंबित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचई, राजस्व विभाग, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, वित्त विभाग, ट्राईबल विभाग तथा सामान्य

महाभियान के बिन्दुओं पर लंबित राजस्व प्रकरणों का दो दिवस में निराकरण कराएं। महाभियान की अवधि 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि तक नवम्बर तथा दिसम्बर माह में दर्ज राजस्व प्रकरणों, किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी एवं नक्शा त्रमीन के प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास करें। साथ ही उचित मूल्य दुकानों एवं धान खरीदी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में नलजल योजनाओं की प्रगति, सड़कों में सुधार तथा बिजली की आपूर्ति एवं खाद वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवडे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन विभाग शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में नालियों और सड़कों की साफ-सफाई से जुड़ी शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित हैं। सभी सीएमओ साफ-सफाई कराकर शिकायतों का दो दिवस में संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं। सभी सीएमओ निर्धारित मुख्यालय छोड़ने से पहले जिला शहरी परियोजना अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति लें। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों में

उपार्जन केन्द्रों के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त

रीवा। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी के लिये निर्धारित उपार्जन केन्द्रों में खरीदी को सतत मानीटरिंग व उपार्जन कार्य को समयावधि में सुचारु तौर पर सम्पादित कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खरीदी केन्द्र रिमारी व चौखण्डी के लिये आनंद मसोरे, जवा के लिये सोनाली पाण्डेय, दादर, डभौरा के लिये के.के. कोल, अकौरी के लिये राजेश सिंह, अमिलिया के लिये प्रदीप कुमार, थरहा के लिये रामसुशील गुप्ता, बड़ागांव के लिये रामसुरेश कोल, कंजी के लिये स्मिता मिश्रा, हरदुआ व बसामन मामा के लिये जयनारायण प्यासी, खारा व साधना वेयर हाउस के लिये श्रुषिका त्रिपाठी तिलखन व बीओटी वेयर हाउस उमरी के लिये काजोल गौतम एवं बदरांव व बीओटी वेयर हाउस उमरी के

लिये शालिनी मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन अवधि में लगातार उपस्थिति रहकर केन्द्रों में पंजीकृत किसानों द्वारा लाये गये अनाज धान की गुणवत्ता/एफ.ए.क्यू. मापदण्ड का अनाज उपार्जित करायें। प्रत्येक दिन उपार्जन केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाये गये अनाज का उपार्जन उसी दिन पर्याप्त संसाधन लगाकर करायें। किसान को उसके द्वारा विक्रय किये गये अनाज की कम्प्यूटरिकृत पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाकर एक प्रति में किसान को पावती लेकर सुरक्षित रखी जावे, यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों से उपार्जन के संबंध में (बोरा भरने, तौल करने, सिलाई करने, छल्ली लगाने आदि) की कोई राशि उपार्जन केन्द्र प्रभारी/ऑपरेंटर द्वारा न लिया जाये।

अवकाश के दिनों में कार्यालय में तैनात रखें कर्मचारी : कलेक्टर मऊगंज

रीवा। प्रदेश के साथ-साथ मऊगंज जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने सभी कार्यालयों में शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में कर्मचारी तैनात रखने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालय प्रमुख अपने विभागीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी तैनात करें।

संभागीय टीएल बैठक आज रहेगी स्थगित

रीवा। प्रत्येक मंगलवार को कमिश्नर बीएस जामोद की अध्यक्षता में प्रातः 10.30 बजे से आयोजित होने वाली संभागीय टीएल बैठक 10 दिसम्बर को आयोजित नहीं होगी। इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। सभी संभागीय अधिकारियों को 14 दिसम्बर को मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित मऊगंज दौरे के लिए आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर मऊगंज में आज करेंगे समीक्षा

रीवा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का मऊगंज जिले में दौरा कार्यक्रम 14 दिसम्बर को प्रस्तावित है। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद कलेक्टर कार्यालय मऊगंज के सभागार में 10 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कोतवाली पुलिस ने मोटर सायकल चोरी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया

रीवा। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती शिवालीचतुर्वेदी के मार्गदर्शन मेथाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अरविन्द सिंह रावैर द्वारा मोटर सायकल चोरी करने वाले फगुर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। विवरण-दिनांक 2/12/2024 को फरियादी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोई अज्ञात चोर मोटर सायकल को चोरी कर ले गया सूचना पर

महेश पटेल के साथ मिलकर घटना करना बताया था। मामलेके आरोपी महेश पटेल पिता गणेश पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी लखौरी बाग थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा अमरपाटन थाना परिसर जिला मेहरसे भी एक मोटर सायकल चोरी करने की बात कबूली है जिसके संबंध मे थाना अमरपाटन को सूचित किया गया है फरार आरोपी महेश पटेल को गिरफ्तार

कर न्यायालय पेश किया गया है जहा से जेल वारण्ट प्राप्त प्राप्त होने पर आरोपी को केन्द्रीय जेल रीवा मे दाखिल किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में महेश पटेल पिता गणेश पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी लखौरी बाग थाना कोतवाली थाना कोतवाली जिला रीवा (म.प्र.)। थानाप्रभारी उप निरी. अरविन्द सिंह रावैर, स.उ.नि तामेन्द्र सिंह , प्र.आर. सुशील शर्मा,प्र.आर. राजकुमार तिवारी, आर. जितेन्द्र सेन आर, संजीत यादव, आर सुधीर शुक्ला सराहनीय भूमिका रही।

शिविर लगाकर सात दिनों में लक्ष्य के अनुसार बनाएं आयुष्मान कार्ड: कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि पिछले दो दिनों में जिले भर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगाए गए शिविरों में 6024 कार्ड बनाए गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड में 15 से 20 हजार पात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शेष हैं। स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य विभाग



मिलकर शिविर लगाएं। आगामी सात दिनों तक लगातार शिविर लगाकर लक्ष्य के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक जनपद कार्यालय तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय में अभियान के लिए कंट्रोल रूम बना दें। इसमें स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी तैनात रहें। शिविरों में नगरीय क्षेत्रों

में वार्ड प्रभारी तथा ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आयुष्मान कार्ड बनाएं। पात्र हितग्राहियों को आगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता कार्ड बनाने के लिए शिविरों तक पहुंचाएं। यदि कोई व्यक्ति अधिक आयु के कारण शिविर में नहीं आ सकता है तो घर जाकर उसके आयुष्मान कार्ड बनाएं। समग्र पोर्टल से 70 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों की सूची निकालकर उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविरों तक ले जाएं। जनपद के मुख्य

कार्यालयन अधिकारी, सीएमओ तथा बीएमओ लगातार शिविरों की निगरानी करके समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। गत दो दिन के शिविरों में जवा विकासखण्ड में सबसे अच्छा कार्य किया गया है। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवडे ने मोबाइल एप और पोर्टल के माध्यम से स्वयं आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, सीएमओ तथा बीएमओ उपस्थित रहे।

राजस्व महाभियान में शामिल बिन्दुओं के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें: कमिश्नर

पटवारी राजस्व कार्यो तथा सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी रखें : कमिश्नर

रीवा। संभाग के सभी जिलों में राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने सिंगरीली जिले की माझा तहसील कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व महाभियान का जायजा लिया। कमिश्नर ने नामांतरण, बटवारा तथा खसरे में सुधार की फाइलों का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कहा कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अभिलेखों में सुधार के प्रकरण राजस्व महाभियान में

प्राथमिकता से निराकृत करें। महाभियान के बिंदुओं में शामिल सभी राजस्व प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण करें। सिंगरीली जिले में चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जिले में राजस्व महाभियान पूरी सफलता के साथ चलाया जा रहा है। सिंगरीली जिले को नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में राज्य में प्रथम स्थान मिला है। कमिश्नर ने कहा कि किसान सम्मान निधि में शेष प्रकरणों में ई केवाईसी कराने, फार्मर

रजिस्ट्री तथा स्वामित्व योजना के प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निराकरण करें। कमिश्नर ने कहा कि बटवारा के प्रकरणों में सभी भूमिस्वामियों के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय करें। नामांतरण और बटवारा के प्रकरणों में आदेश जारी होने के बाद तत्काल बटोकन एवं नक्शा त्रमीन कराएं। माझा तहसील परिसर में पटवारियों से संवाद करते हुए कमिश्नर ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की ग्राम स्तर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

जनकल्याण अभियान के विभागीय लक्ष्य तत्काल तय करें: कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जनकल्याण अभियान के तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले के नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी विभागों के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं में शेष बचे हितग्राहियों का चिह्नानकन करके विभागीय लक्ष्य तत्काल निर्धारित कर लें। अभियान के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों में शामिल सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके लिए नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। अपर कलेक्टर शिविर का पूरा कार्यक्रम आज ही तैयार करके प्रस्तुत करें। प्रत्येक शिविर के लिए नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाएं। शिविर की निगरानी के लिए सेक्टर आफीसर तैनात करें। अभियान के लिए सभी विकासखण्डों तथा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर पूरी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जनकल्याण अभियान के तहत विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों तथा आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।

पुलिस द्वारा नशीली कफ सिरफ के फरार तस्कर को किया गया गिरफ्तार

रीवा। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा महेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल नेतृत्व व उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेन्ज रीवा साकेत पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति रिता उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना चोरहटा पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर् द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मारेक्स तस्कर राहुल तिवारी निवासी मकरवट का ग्राम बैजनाथ में छिपा है सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी थाना चोरहटा हमराह बल के साथ ग्राम बैजनाथ थाना चोरहटा पहुंचे जहां पर संदेही दस्तयाब हुआ जो नाम पता पूछने पर अपना नाम राहुल तिवारी पिता चन्द्रभूषण तिवारी उम्र 26 साल

निवासी मकरवट थाना सेमरिया जिला रीवा हाल निवास वार्ड क्र 05 पदमधर कालोनी डेक्का थाना सिविल लाइन जिला रीवा का होना बताया जिसका भारतीय सक्ष अधिनियम की धारा 23 के तहत कथन लेख किया गया जो अपने कथन में बताया कि आज से करीबन डेढ वर्ष पहले माह सितम्बर 2023 में अपने साथी प्रकाश शुक्ला की एसेन्ट कार क्र एमपी 20 टी 3499 में कपसा शासकीय स्कूल के पास से नशीली कफ सिरफ (अनरेक्स कफ सिरफ) लोड कर रीवा में कबाडी मोहल्ला में स्पलाई करने के लिये ले जा रहे थे तभी पुलिस वाले आ गये व हम लोग एसेन्ट कार क्र 20 टी 3499 में लोड 10पैटीनशीली कफ सिरफ (अनरेक्सकफ सिरफ) छोडकर भाग गये थे। थाना चोरहटा अपराध क्र

756/ 2023 धारा 8,21, 22,25, 25ए, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग कप्ट्रेल एक्ट में आरोपी दिनांक वक्त घटना से फरार था मुखविर की सूचना पर आरोपी उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई व आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी में 1. राहुल तिवारी पिता चन्द्रभूषण तिवारी उम्र 26 साल निवासी मकरवट थाना सेमरिया जिला रीवा हाल निवास वार्ड क्र 05 पदमधर कालोनी डेक्का थाना सिविल लाइन जिला रीवा। निरी आशीष मिश्रा थाना प्रभारी थाना चोरहटा, प्रआर 981 विभा सिंह, आर 928 नितिश सिंह महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आयुष्मान दारा निःशुल्क उपचार की सुवधा

अब रीवा (म.प्र.) के लाइफ केयर हॉस्पिटल में

लेजर मशीन द्वारा

बिना चीरफाड़ के बवासीर (पाइल्स), फिसचुला (मगंदर), फिशर्स, पाइलोनाईडल सायनस एवं वेरिकोज वेन्स ऑपरेशन की सुविधा शुरू

लेजर फायदे

- अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं
- ऑपरेशन के पश्चात कम से कम तकलीफ
- रक्तस्राव व दर्द कम एवं कम समय में ही अस्पताल से छुट्टी
- किसी भी पारंपरिक इलाज से बहुत प्रभावी एवं गुणकारी
- फिर से होने की संभावना सबसे कम
- कम से कम समय में काम पुनः शुरू कर सकते है

उपलब्ध सुविधाएं

- आकस्मिक चिकित्सा इकाई
- गहन चिकित्सा
- स्लून जीव एवं डिजिटल एक्स-रे केन्द्र
- टवाईट्स
- प्रसूति कक्ष
- शल्य चिकित्सा कक्ष
- शल्य कियोतर कक्ष

आयुष्मान दारा निःशुल्क उपचार की सुविधा

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

लाइफ केयर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर

जनता कॉलेज रोड, अनन्तपुर रीवा (म.प्र.)

8435896118, 9630131919, 7898847200